

राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता



क्रमांक- एफ.19(1)/निमअ/एसएचजी/ब.घो. 120/IMSUPY/2019-20/27490 जयपुर, दिनांक 18-7-2022

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.19(1)/we/wshgi/B-A.-120/PIGWEEES/2019-20/35030 दिनांक 13.11.2021 द्वारा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में किए गए संशोधित प्रावधान योजना शुभारम्भ तिथि 19.12.2019 से प्रभावी होंगे।

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी संख्या 162200960 दिनांक 01.07.2022 के क्रम में जारी किए जाते हैं। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(रेणु जयपाल)  
आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक- एफ.19(1)/निमअ/एसएचजी/ब.घो. 120/IMSUPY/2019-20/27491-607 जयपुर, दिनांक 18/7/22  
प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
10. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान जयपुर।
12. सम्भागीय आयुक्त, समस्त, राजस्थान।
13. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
15. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
16. उपनिदेशक / सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त जिले।
17. प्रोग्रामर महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. रक्षित पत्रावली।

अतिनिदेशक, (एस.एच.जी.)  
महिला अधिकारिता

पता : जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर | दूरभाष : 0141-2716418

D:\krishna kant\IMSUPY\letter\_1 | Website : www.wcd.rajasthan.gov.in |  
Email : shgcell.we@rajasthan.gov.in